न्यायालय सहायक कलक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस
विविध मूलवाद संख्या 67 / 2011
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 10 / 2019
निर्णय दिनांक 07.06.2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
रामपाल		मंजूदेवी वगैराह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी.

उपस्थिति :– प्रार्थी की ओर से श्री बी आर विश्नोई अधिवक्ता।
अप्रार्थी सं. 1 की ओर श्री राजेन्द्र कुमार पटेल अधिवक्ता।
अप्रार्थी सं. 4 की ओर श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक :– 7/10/24

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उक्त अनवान का राजस्व मूल वाद न्यायालय श्री में दिनांक 07.06.2019 तक विचाराधीन रहा है। किन्तु वादीगण की अनुपस्थिति की वजह से उक्त वाद पत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर कर दी गयी। वादीगण के निकट परिवार में रिश्तेदार का आकस्मिक निधन हो जाने की वजह से वादीगण नियत तारीख पेशी दिनांक 07.06.2019 को अकारण उपस्थित होने में चूक हो गई एवं उक्त दिनांक व समय पर संबंधित अधिवक्ता महोदय से सम्पर्क करने में विलम्ब हुआ। न्यायालय श्री के आदेश दिनांक 07.06.2019 की जानकारी वादीगण को जरिये अधिवक्ता दिनांक 18.07.2019 को होने पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने पर आदेश की प्रति वादीगण दिनांक 20.07.2019 को प्राप्त हुई। वादीगण को आदेश बाबत सम्यक जानकारी दिनांक 20.07.2019 को होने से उक्त प्रार्थना पत्र बाबत अपास्त करने गत आदेश दिनांक 07.06.2019 हेतु श्रीमानजी की सेवा में पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय श्री से निवेदन है कि न्यायालय श्री के खारिजी के आदेश दिनांक 07.06.2019 को अपास्त किया जाकर मूल पत्रावली पुनः रेस्टोर किये जाने के आदेश जारी फरमावें।

वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पेश कर निवेदन किया है कि राजस्व मूल वाद सं. 67 / 2011 में पारित आदेश दिनांक 07.06.2019 की जानकारी प्रार्थी / वादी को दिनांक 18.07.2019 तब हुई, जब प्रार्थीगण ने संबंधित अधिवक्ता से सम्पर्क किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत एवं न्यायालय श्री में विचाराधीन उक्त अनवान के नियत तारीख पेशी दिनांक 07.

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

06.2019 को प्रार्थी के निकट रिश्तेदारी में रिश्तेदार का निधन हो जाने की वजह से नियम समय पर उपस्थित होने में प्रार्थी की चूक सकारण रह गयी एवं तत्पश्चात आदेश का सम्यक् ज्ञान दिनांक 27.07.2019 को होने पर प्रार्थी ने आर्डर 9 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत् प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश किया है। समयावधि के संबंध में प्रार्थी उक्त अवधि को अवशान पाने का न्यायहित में अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेशकर न्यायालय श्री से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर समयावधि प्रार्थना पत्र प्रस्तुति में अवशान किया जाकर प्रार्थी को संबंधित अनुतोष प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर श्री राजेन्द्र कुमार पटेल अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी सं. 4 की ओर श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 4 को जवाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं करने पर अप्रार्थी सं. 1 व 4 का जवाब बन्द किया जाता है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए तथा बार–बार रूक रूककर आवाज लगवाई गई परन्तु अप्रार्थी सं. 2 व 3 के उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व मूलवाद संख्या 67/2011 बअनवान रामपाल बनाम मंजूदेवी वगैराह में वादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 07.06.2019 द्वारा अदम पैरवी, अदम हाजरी में खारिज करने से उक्त आदेश से व्यथित होकर पेश किया है। प्रार्थीगण एक काश्तकार व गरीब व्यक्ति है। एवं अधिवक्ता प्रार्थीगण का यह दायित्व है कि वह प्रकरण के संबंध में न्यायालय हाजा की पेशी, दिनांक एवं न्यायालय हाजा में हुई समस्त कार्यवाही की जानकारी अपने अपीलाण्ट को दें, परन्तु वादीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि वादीगण के निकट परिवार में रिश्तेदार की आकस्मिक निधन हो जाने की वजह से वादीगण नियत तारीख पेशी को सकारण उपस्थित नहीं हो सका। अतः प्रकरण में सम्यक् न्याय निर्णयन के लिये हम प्रार्थीगण पक्षकार को समुचित अवसर देना आवश्यक समझते है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलंब के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा प्रकट कथन एवं परिस्थितियों से हम सहमत है, क्योंकि प्रकरण का निर्णयन गुणावगुण के

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आधार पर किया जाना चाहिए न ही तकनीकी आधार पर, अतः हम प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम को स्वीकार करना प्रार्थीगण के सम्यक् न्याय निर्णयन् में विधिसंगत होगा।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत आदेश 09 नियम 04 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। आदेश दिनांक 07.06.2019 को अपास्त करते हुए पत्रावली पुनः नम्बर पर ली जाती है। मूल पत्रावली तलब होकर पुनः दर्ज हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 7/10/19 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा